

बिहार सरकार शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या: 11/नि 03-01/2025

पटना, दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—

- (क) यह नियमावली "बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025" कही जायेगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।— इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो —

- (i) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (ii) "प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
- (iii) "विद्यालय" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे ;
- (iv) "माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-10 तक की पढ़ाई होती है;
- (v) "उच्च माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है;

- (vi) **“जिला परिषद्”** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद् ;
- (vii) **“नगर निकाय”** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था—नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;
- (viii) **“संवर्ग”** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष का संवर्ग ;
- (ix) **“नियुक्त प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ;
- (x) **“अनुशासनिक प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;
- (xi) **“अपीलीय प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ;
- (xii) **“विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष”** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थित पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख-रखाव के लिए नियुक्त विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (xiii) **“पूर्व से नियुक्त पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष”** से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं “बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष ;
- (xiv) **“विश्वविद्यालय”** से अभिप्रेत है, अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;
- (xv) **“पात्रता परीक्षा”** से अभिप्रेत है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय

- पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा ;
- (xvi) “आयोग” से अभिप्रेत है, बिहार लोक आयोग ;

3. संवर्ग की संरचना ।—

- (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:—

क्र०सं०	पदनाम	पद का स्तर
01	विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष	मूल कोटि

- (ii) यह संवर्ग जिला स्तरोय होगा।
- (iii) इस संवर्ग के विभिन्न पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया ।—

- (i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो।
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी (यह छूट केवल बिहार के निवासी को देय होगा)। मोलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।
- (iii) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री।
- (iv) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (v) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

- (vi) विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएँगे।
- (vii) शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।
- (viii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ix) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
- (x) परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।
- (xi) उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।
- (xii) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम पाँच बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
- (xiii) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।
- (xiv) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टि से उपयुक्त है।
- (xv) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व हागा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा लगे। परंतु कार्यहित में आपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है।

(xvi) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़ोसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. आरक्षण |—

इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

6. परिवीक्षा अवधि |—

सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से एक वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवामुक्त कर सकेगा।

7. सम्पुष्टि |—

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

8. वरीयता |—

सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेधाक्रमानुसार किया जा सकेगा।

9. स्थानान्तरण |— यह सभी पद सामान्यतः जिला के अन्दर स्थानान्तरणीय होगा। संबंधित कर्मियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में

स्थानान्तरित कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अन्य जिलों में भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।

10. आचरण संहिता I—

- (i) सरकारी आदेश का पालन करना।
- (ii) पुस्तकालय का स्वच्छ वातावरण बनाना।
- (iii) समय पर विद्यालय आना और ससमय पुस्तकालय संचालन करना/कराना।
- (iv) शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना।
- (v) दूसरे शिक्षक को पठन-पाठन करने में व्यवधान नहीं करना।
- (vi) महिला शिक्षिका/छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना।
- (vii) किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना।
निजी ट्यूशन/कोचिंग एवं अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना।
- (viii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना।
- (ix) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।
- (x) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा को दूर करने में सक्रिया भूमिका निभाना।
- (xi) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।
- (xii) विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना।
- (xiii) विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

11. अनुशासनिक कार्रवाई I—

- 11.1 इस संवर्ग के विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष अवचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे।
- 11.2 विशेष रूप से, नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा:—

- क. अपने कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करना;
- ख. कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति;
- ग. जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता;
- घ. विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना;
- ङ. वित्तीय अनियमितता के मामले;
- च. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव;
- छ. किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना;
- ज. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन;
- झ. कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे;

- 11.3 **समझा गया निलंबन** ।— इस संवर्ग के विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक/पुलिस/सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।
- 11.4 अनुशासनिक प्राधिकार, इस संवर्ग के दोषी विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा।

क. **वृहद् दंड—**

- i. बर्खास्तगी
- ii. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- iii. निचले पद पर पदावनति
- iv. कम वेतनमान में पदावनति
- v. संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना

ख. **लघु दंड—**

- i. निन्दन
- ii. निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा
- iii. वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
- iv. गैर-संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना

v. प्रोन्नति रोकना

11.5 **विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया** ।— अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई पूर्ण करेंगे।

12. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।—

सेवाकाल में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के मृत्यु होने पर संबंधित विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे, उसी जिले में विद्यालय लिपिक के पद पर भी नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकम्पा के आधार पर विद्यालय लिपिक की नियुक्ति तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जायेगी और अपेक्षित योग्यता एवं रिक्ति के अधीन होगी।

13. अपील ।—

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी।

14. प्रकीर्ण ।—

प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

15. अवशिष्ट मामले ।—

इस नियमावली में जिन विषयों के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिये सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान लागू होंगे।

16. कठिनाईयों का निराकरण ।—

इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श से समय-समय पर सामान्य या विशेष निदेश जारी किया जा सकेगा।

17. शिथिल करने को शक्ति ।—

जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्ही उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

18. निर्वचन ।—

इस नियमावली के किन्ही उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :-11/नि 03-01/2025

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग /सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी /सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-11/नि 03-01/2025

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-11/नि 03-01/2025

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।